Society for Empowerment

Webinar on Financial Inclusion in Nomadic Tribe: 19th October 2020

सोसायटी फॉर एम्पावरमेंट ने 19 अक्टूबर 2020 को खानाबदोश जनजाति में वित्तीय समावेशन पर वेबिनार पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार का उद्घाटन श्री राज विकास वर्मा, अध्यक्ष ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा किया गया।

वेबिनार की अध्यक्षता श्री सचिन्द्र नारायण, अध्यक्ष सोसायटी फॉर एम्पावरमेंट और अन्य पैनलिस्ट मे सुश्री भद्रा बहन (सेवानिवृत्त प्रो. गुजरात विद्यापीठ), श्री सुदर्शन अयंगर (पूर्व कुलपति, गुजरात विद्यापीठ), सुश्री निर्मला, (आदिवासी कार्यकर्ता), श्री वीजॉय प्रकाश (अध्यक्ष, बिहार विद्यापीठ), श्री एके पांडे (अध्यक्ष, आवास निगम, झारखंड), श्री आरआर प्रसाद (पूर्व निदेशक, एनआईआरडी हैदराबाद) और श्रीमती शोभा कुजूर, प्रोफेसर चतरा कॉलेज ने भाग लिया .

श्री आर.वी. वर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के परिवारों का बैंक खाता 44.98% है जबकि अन्य सभी सामाजिक समूहों के साथ यह 58.7% था। हालांकि हाल के दिनों में 2014 में पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना) की शुरुआत के बाद इसमें काफी वृद्धि हुई है। पीएमजेडीवाई देश में वित्तीय समावेशन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कार्यक्रम मौजूदा बड़े बैंकिंग नेटवर्क और तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाता है, ताकि हर घर को बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके, जिससे बैंकिंग सुविधाओं के कवरेज में अंतर पैदा होता है। आर्थिक रूप से पिछड़े जिले के उत्थान के लिए FI समावेश के तहत सरकार ने जनवरी 2018 में "एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के परिवर्तन" के तहत एक विशेष पहल की है। यह पहल लोगों की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आधारभूत रैंकिंग पाँच क्षेत्रों में 49 संकेतकों पर आधारित है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण (30% वेटेज) शामिल हैं 13 संकेतक के माध्यम से, शिक्षा (30%) 8 संकेतकों के माध्यम से, कृषि और जल संसाधन (20%), 10 संकेतकों के माध्यम से, 10 संकेतकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10%), और 7 संकेतकों के माध्यम से बुनियादी ढांचा (10%)।

जन धन खाते, आधार बायोमेट्रिक आईडी और मोबाइल (जेएएम) एनबलर हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। DBT ने सभी सरकार के व्यक्तियों (G2P) के स्थानांतरण में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सक्षम किया है।

प्रोफेसर सचिंद्र नारायण ने कहा कि जनजातीय निवास देश के 15% क्षेत्र में ज्वलंत स्थलाकृति और पारिस्थितिक परिवेश में फैला हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं।

श्री सुदर्शन अयंगर ने कहा कि विकास जीवन की भौतिक गुणवत्ता में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है। इसे स्थायी बनाने के लिए, जनजातीय गतिविधि के वित्तीय पहलुओं को बढ़ावा दिया जाना है और इस बैंक में एक परिवर्तन करने वाला नेता बन सकता है जो खानाबदोश जनजातियों के जीवन और जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए इनपुट को प्रेरित कर सकता है।

श्री ए.के. पांडे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के वर्ल्डोमीटर विस्तार पर आधारित मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2020 तक भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,383,826,697 है। भारत की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति किलोमीटर है और जनसंख्या का 35.0% शहरी है। वित्तीय मुख्यधारा में घुमंतू जनजातियों के एकीकरण के लिए समाज के बढ़ते शहरीकरण और डिजिटलीकरण की आवश्यकता है।

वेबिनार में उचित विचार-विमर्श के बाद पैनलिस्ट का विचार था कि:

1. जनजातीय और घुमंतू जनजातियों के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता।

2. खानाबदोश / जनजातियों के लिए साप्ताहिक / पाक्षिक आधार पर वित्तीय साक्षरता हाट का आयोजन करना "।

3. राज्य सरकारों के सहयोग से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करना।

4. आदिवासी जिलों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित करने के लिए एसएचजी / बीसी / आशा बहुओं / बैंक सखी।

5. SHG / JLG / BC / NGO / ट्रस्ट आदि के सहयोग से बैंक के ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल जनजातीय उत्पादों / दवाओं का विपणन।

6. दिए गए क्षेत्र में विशेष जनजातियों को अपनाकर बैंक की सीएसआर गतिविधियों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।

7. आंतरिक लेखापरीक्षा को बैंकों के सामाजिक लक्ष्यों और वित्तीय समावेशन की गुणात्मक प्रभावकारिता का आकलन करना चाहिए। यह बैंक की लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड के लिए त्रैमासिक एजेंडा मद में से एक होना चाहिए।

8. स्थानीय / जनजातीय भाषाओं में समर्पित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (टोल-फ्री हेल्पलाइन) के द्वारा वित्तीय सेवा के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।

9. सामाजिक अंकेक्षण जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों / सिविल सोसायटी / गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए एक मंच बनाकर योजना और विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें।

सचिव

Society For Empowerment

19/10/2020